

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यालय आदेश

संचिका सं०:- NULM-PMC/001/SM&ID-Financial Inclusion/2015-16/

01

दिनांक- 28.01.16

राष्ट्रीय शहरी-आजीविका मिशन के अन्तर्गत Social Mobilization & Institutional Development Component घटक के अधीन 42 नगर निकायों में स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि को वित्तीय विषय पर प्रशिक्षण देने हेतु प्रति व्यक्ति संभावित व्यय रु 750.00 (सात सौ पाचास रुपये मात्र) की दर पर 30-30 व्यक्तियों के बैच पर रु 22,500.00 व्यय अर्थात योजना के कार्यान्वयन में कुल 790 ग्रुप के 2370 लाभुकों (प्रत्येक ग्रुप से तीन व्यक्ति, $790 \times 3 = 2370$) को रु 750.00 प्रति लाभुक की दर से कुल राशि रु 17,77,500.00 (सत्रह लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपए मात्र) सारणी में अंकित विवरणी के अनुसार विमुक्त किए जाने की स्वीकृति दी जाती है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(राशि रू० में)

| क्र० सं० | नगर निकाय का नाम | स्वयं सहायता समूहों की संख्या | कुल लाभुकों की संख्या | कुल स्वीकृत राशि |
|----------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अररिया | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 2 | आरा | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 3 | अरवल | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 4 | औरंगाबाद | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 5 | बगहा | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 6 | बांका | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 7 | बेगुसराय | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 8 | बेतिया | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 9 | भभुआ | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 10 | भागलपुर | 30 | 90 | 67,500.00 |
| 11 | बिहारशरीफ | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 12 | बक्सर | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 13 | छपरा | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 14 | दानापुर | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 15 | दरभंगा | 30 | 90 | 67,500.00 |
| 16 | डेहरी | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 17 | गया | 30 | 90 | 67,500.00 |
| 18 | गोपालगंज | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 19 | हाजीपुर | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 20 | जमालपुर | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 21 | जमुई | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 22 | जहानाबाद | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 23 | कटिहार | 30 | 90 | 67,500.00 |
| 24 | खगड़िया | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 25 | किशनगंज | 30 | 90 | 67,500.00 |

(74)

| | | | | |
|----|------------------|-----|------|--------------|
| 26 | लखीसराय | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 27 | मधेपुरा | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 28 | मधुबनी | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 29 | मोतिहारी | 30 | 90 | 67,500.00 |
| 30 | मुंगेर | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 31 | मुजफ्फरपुर | 30 | 90 | 67,500.00 |
| 32 | नवादा | 30 | 90 | 67,500.00 |
| 33 | पटना | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 34 | पूर्णिया | 30 | 90 | 67,500.00 |
| 35 | सहरसा | 30 | 90 | 67,500.00 |
| 36 | समस्तीपुर | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 37 | सासाराम (रोहतास) | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 38 | शेखपुरा | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 39 | सीतामढ़ी | 20 | 60 | 45,000.00 |
| 40 | सिवान | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 41 | सुपौल | 10 | 30 | 22,500.00 |
| 42 | शिवहर | 20 | 60 | 45,000.00 |
| | | 790 | 2370 | 17,77,500.00 |


(सत्रह लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रू० मात्र)

2. दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नगर निकाय द्वारा APMAS एवं स्थानीय बैंक की सहयता से किया जायेगा।
3. नगर निकाय में निबंधित प्रत्येक समूह से तीन पदाधिकारी/सदस्य वित्तीय साक्षरता हेतु कार्यक्रम में भाग लेंगे।
4. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

(राशि रू० में)

| संख्या | विवरण | संख्या | प्रति व्यक्ति खर्च | कुल दिन | कुल राशि |
|--------|---|--------|--------------------|---------|----------|
| (क) | आवर्ती खर्च | | | | |
| 1 | प्रति व्यक्ति के भोजन में खर्च | 1 | 100 | 2 | 200.00 |
| 2 | प्रति सहभागी के आने-जाने का यात्रा भत्ता | 1 | 125 | 2 | 250.00 |
| | कुल आवर्ती खर्च | | | | 450.00 |
| (ख) | अन्य खर्च | | | | |
| 3 | प्रशिक्षण - सामग्री, IEC एवं स्टेशनरी पर खर्च | 1 | 200 | ----- | 200.00 |
| 4 | विविध खर्च | 1 | 100 | ----- | 100.00 |
| | कुल अन्य खर्च | | | | 300.00 |
| | कुल खर्च (क + ख) | | | | 750.00 |



- 4. स्वीकृत राशि की विमुक्ति NULM योजना की संचित राशि से की जायेगी।
- 5. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- 6. दो दिवसीय प्रशिक्षण से संबंधित मॉड्युल संलग्न है।


 संयुक्त-सचिव सह-निदेशक,
 नगर विकास एवं आवास विभाग।

पत्रांक: 29

दिनांक: 28.01.16

प्रतिलिपि: - उपनिदेशक बुडा/ लेखापाल बुडा/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 संयुक्त-सचिव सह-निदेशक।
 नगर विकास एवं आवास विभाग


| क्र.सं. | विवरण | प्रमाणित | अनुमोदित |
|---------|-------|----------|----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |